>

Title: Need to bring a stringent law to check the commercialization of education in the country.

श्री गणेश सिंह (सतना): सम्पूर्ण देश में शिक्षा का तेजी से व्यापारीकरण हो रहा है, जिससे गरीब एवं मेधावी छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। उदारीकरण के बाद सरकारी नीतियों के फलस्वरूप निजी संस्थान अचानक उत्कृष्टता एवं धर्नाजन का केन्द्र बन गए हैं। शिक्षा के व्यापारीकरण का असर शिशु शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर शिक्षा तक देखा जा रहा है। शिक्षा के व्यापारीकरण के विषय में 2005 में सर्वोच्च न्यायालय के पी.ए. इनामदार केस के कहने पर तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री ने इस संबंध में एक कानून के लिए प्रारूप तैयार करवाया था। परन्तु आज तक इस पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं हो पाया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहता हूं कि शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के लिए एक कठोर कानून बनाए जाने की तुंत आवश्यकता है। इस संबंध में सरकार की योजना की मुझे विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की जाये। ऐसी मैं मांग करता हूं।